अध्याय 3: प्रतिष्ठानों एवं हितग्राहियों का पंजीयन

3.1 प्रतिष्ठानों का पंजीयन

3.1.1 प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने के लिए तंत्र का अभाव

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 7 में कहा गया है कि निर्माण कार्य करने वाले प्रत्येक नियोक्ता को काम शुरू होने के 60 दिनों के भीतर प्रतिष्ठान के पंजीयन के लिए पंजीयन अधिकारी को आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना (जनवरी 2014) के अनुसार, प्रत्येक सरकारी विभाग ठेकेदारों को कार्य आदेश देने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी विभाग के निर्माण का कार्य करने वाला प्रत्येक नियोक्ता (सरकारी विभाग)/ठेकेदार, एक नियोक्ता के रूप में, श्रम विभाग या भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के साथ पंजीकृत हैं एवं ऐसा प्रत्येक निर्माण कार्य एक प्रतिष्ठान के रूप में पंजीकृत है। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ का प्रत्येक नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण कार्य में संलग्न प्रत्येक नियोक्ता/ठेकेदार, भवन अनुज्ञा के अनुमोदन से पहले श्रम विभाग द्वारा जारी नियोक्ता के रूप में पंजीयन की प्रति प्रस्तुत करेगा।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सितंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 2,830 प्रतिष्ठान पंजीकृत थे जिनमें से 426 प्रतिष्ठान चयनित पांच जिलों में पंजीकृत थे। लेखापरीक्षा के दौरान, निर्माण विभाग के 32 संभागों, पांच स्थानीय सरकार संस्थानों एवं पांच नगर तथा ग्राम निवेश इकाइयों की नमूना जांच की गई। यह देखा गया कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान निर्माण विभाग के संभागों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठेकेदारों को निर्माण के लिए क्रमशः 7,859 एवं 4,544 कार्य आदेश जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों के निर्माण के लिए क्रमशः 14,302 एवं 2,538 भवन अनुज्ञा अनुमोदित की गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान 29,243 प्रतिष्ठानों में से केवल 43 प्रतिष्ठान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत पाए गए तथा शेष 29,200 प्रतिष्ठान जिनके लिए संबंधित विभागों/स्थानीय निकायों द्वारा कार्य आदेश/भवन अनुज्ञा जारी की गई थी, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत नहीं पाए गए।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नियोक्ताओं/उपकर संग्रहण/कटौती करने वाले प्राधिकारियों से चेक/डीडी के रूप में या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से उपकर आय प्राप्त करता है जबकि पंजीयन शुल्क की प्राप्तियां श्रम विभाग को जाती हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि श्रम विभाग/भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में उन प्रतिष्ठानों को खोजने का कोई तंत्र नहीं था जो श्रम उपकर का भुगतान करते थे लेकिन प्रतिष्ठान के रूप में पंजीकृत नहीं थे। श्रम विभाग, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं श्रम उपकर एकत्र करने वाले अन्य विभागों/स्थानीय सरकार संस्थानों के बीच तालमेल की कमी के परिणामस्वरूप प्रतिष्ठानों का पंजीयन नहीं हो सका। भारत सरकार के निर्देशों (मई 2018) के अनुसार, श्रम विभाग को जीआईएस प्रौद्योगिकी/मैपिंग के माध्यम से निर्माण गतिविधियों की नियमित निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता थी, हालांकि, विभाग द्वारा ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में निर्माण गतिविधियों की निगरानी नहीं हो पा रही है।

प्रतिष्ठानों का पंजीयन नहीं होने से श्रम विभाग को ₹ 100 प्रति प्रतिष्ठान की न्यूनतम दर पर की गई गणना अनुसार ₹ 29.20[1] लाख के पंजीयन शुल्क की हानि हुई। विवरण **परिशिष्ट–3.1** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठानों के पंजीयन न होने के कारण उनमें लगे निर्माण श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा क्रियान्वित श्रमिक कल्याण योजनाओं के दायरे से बाहर रह गए।

इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि राज्य में प्रतिष्ठानों के पंजीयन के लिए सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधिकारी/श्रम विभाग के उप/सहायक संचालक को पंजीयन अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। इसमें आगे कहा गया है कि प्रतिष्ठानों एवं श्रमिकों के पंजीयन के संबंध में श्रम विभाग एवं विभिन्न निर्माण विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्यों से संबंधित जीआईएस मैपिंग के अनुमोदन का प्रस्ताव 07 मार्च 2024 को आयोजित मंडल की बैठक में रखा गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल राज्य में भवन और अन्य निर्माण कार्यों में लगे सभी प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को पंजीकृत करने में विफल रहे।

3.1.2 प्रतिष्ठानों को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम 24 में कहा गया है कि पंजीयन अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने पर उसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रपत्र–II में नियोक्ता को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान, श्रम विभाग ने 2,325 प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया जिन्होंने पंजीयन के लिए आवेदन किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 745 प्रतिष्ठानों को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब हुआ। कुल 388 मामलों में 5 से 30 दिनों की, 199 मामलों में 31 से 90 दिनों की एवं 158 मामलों में 90 दिनों से अधिक का विलंब हुआ।

शासन ने पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने में देरी का उल्लेख किए बिना उत्तर दिया (अप्रैल 2024)।

3.2 हितग्राहियों का पंजीयन

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल 18 से 60 वर्ष की आयु के ऐसे निर्माण श्रमिकों को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करता है जो श्रम विभाग की वेबसाइट *www.cglabour.nic.in* या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से नियोक्ता/नामित अधिकारियों से 90 दिनों के रोजगार प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र हैं। श्रम निरीक्षक, श्रम उपनिरीक्षक, निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता एवं नगर निगम के सहायक/कनिष्ठ अभियंता को पंजीयन अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। राज्य शासन के आदेश (जून 2013) के अनुसार निर्माण श्रमिक का प्रारंभिक पंजीयन पांच वर्ष के लिए किया जाता था।

---

[1] छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2008 के नियम 27 के अनुसार पंजीयन शुल्क की न्यूनतम राशि ₹ 100 है। इसलिए, पंजीयन शुल्क की न्यूनतम हानि 29,200 प्रतिष्ठान x ₹ 100 = ₹ 29.20 लाख है।

3.2.1 हितग्राहियों के पंजीयन में गिरावट की प्रवृत्ति और नवीनीकरण का पालन न करने के कारण 6.13 लाख निष्क्रिय पंजीयन वाले श्रमिकों का लाभ से वंचित होना

जैसा कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के खंड–12 (उप–खंड 1) में परिकल्पना की गई है, प्रत्येक भवन निर्माण श्रमिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जो किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में पूर्ववर्ती 12 महीनों में कम से कम 90 दिन की अवधि के लिए कार्यरत हो, इस अधिनियम के अंतर्गत हितग्राही के रूप में पांच वर्ष के लिए पंजीकृत होने के पात्र होंगे। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन की स्थिति को **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान निर्माण श्रमिकों की स्थिति

(संख्या में)

वर्ष	पंजीयन की संख्या (1 अप्रैल की स्थिति में)	वर्ष के दौरान पंजीयन	वर्ष के दौरान नवीनीकरण	वर्ष के दौरान कालातीत/निष्क्रिय	31 मार्च की स्थिति में सक्रिय पंजीयन की संख्या
2017–18	5,70,132	3,65,575	16,502	24,012	9,28,197
2018–19	9,28,197	5,01,330	70,282	37,541	14,62,268
2019–20	14,62,268	87,670	15,918	28,638	15,37,218
2020–21	15,37,218	1,14,815	8,146	1,40,406	15,19,773
2021–22	15,19,773	51,521	27,164	3,81,907	12,16,551
योग		**11,20,911**	**1,38,012**	**6,12,504**	

(स्रोतः भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से प्राप्त जानकारी)

चार्ट 3.1: वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान पंजीयन, पंजीयन के नवीनीकरण एवं निष्क्रिय पंजीयन की प्रवृत्ति

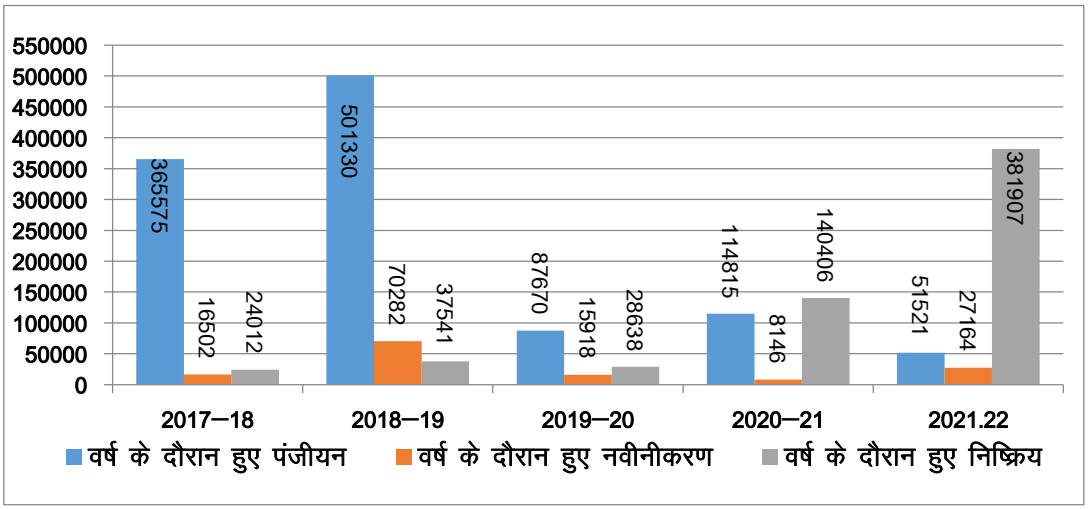

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान, 11.21 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया था जबकि 6.13 लाख पंजीयन या तो कालातीत हो गए थे या पंजीयन के नवीनीकरण न होने या मृत्यु/60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के कारण निष्क्रिय

थे। वर्ष 2020–21 से 2021–22 में सक्रिय पंजीयन में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा सकती है। सक्रिय पंजीयन वाले श्रमिक वर्ष 2020–21 में 15.20 लाख से घटकर वर्ष 2021–22 में 12.16 लाख (20 प्रतिशत) हो गये। वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान कालातीत पंजीयन की संख्या नवीनीकृत पंजीयन से अधिक थी। वर्ष 2017–18 से 2020–21 के दौरान नए पंजीयन में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति थी तथा वर्ष 2021–22 में यह सबसे कम थी जो पंजीयन/नवीनीकरण और संबंधित श्रमिकों को कल्याण योजनाओं के दायरे में लाने के लिए विभाग/मंडल द्वारा निरंतर प्रयास की कमी को दर्शाता है। वर्ष 2021–22 में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन एवं नवीनीकरण में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के प्रदर्शन में गिरावट आई है।

शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा पंजीयन के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस स्थिति से निपटने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने कई पहल जैसे प्रथम बार पंचवर्षीय पंजीयन, श्रमिकों को समूह एसएमएस, वार्ड एवं जनपद (खण्ड) कार्यालयों में विशेष पंजीयन/नवीनीकरण शिविर और समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन शुरू की है। नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है और 6.13 लाख लंबित पंजीयन में से 3.72 लाख पंजीयन का नवीनीकरण किया जा चुका है।

3.2.2 मृत्यु दावों के अंतर्गत सहायता प्रदान करने में पारदर्शिता का अभाव

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों से संबंधित आवेदनों की जांच करने पर ऐसे मामले सामने आये जहां मजदूरों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए मृत्यु की तारीख के बाद पंजीकृत किया गया।

मृत्यु के बाद पंजीकृत हितग्राही: चयनित जिलों के मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए अनुमोदित आवेदनों के डेटाबेस की जांच करने पर यह देखा गया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने उपरोक्त योजना के अंतर्गत 13 ऐसे आवेदनों के विरूद्ध वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया था जहां श्रमिकों को उनकी मृत्यु की तारीख के बाद पंजीकृत किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट–3.2** में दर्शाया गया है। यह इंगित करता है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं श्रम विभाग ने पंजीयन एवं अपात्र हितग्राहियों को योजना के अंतर्गत लाभ देने के समय उचित परिश्रम नहीं किया।

आवेदनों का निरस्तीकरण: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के खंड 12(4) के अनुसार, यदि उप–धारा (2) के अंतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी संतुष्ट है कि आवेदक ने इस अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है तो वह इस अधिनियम के अंतर्गत भवन निर्माण श्रमिक का नाम हितग्राही के रूप में पंजीकृत करेगा।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने सहायता जारी करने से पहले किए गए भौतिक सत्यापन के आधार पर हितग्राहियों के 39 आवेदन निरस्त कर दिए। ऐसे मामलों का विवरण **परिशिष्ट 3.3** और **3.4** में दर्शाया गया है। कुछ मामले **बॉक्स 3.1** में दर्शाए गए है।

बॉक्स 3.1: भौतिक सत्यापन के आधार पर निरस्त आवेदन दर्शाने वाले मामले

केस–1 : श्री अशोक कुमार राठौड़, पंजीयन संख्या–417953347– श्री राठौड़ का पंजीयन 12 मार्च 2021 को होना पाया गया तथा मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार मृत्यु की तारीख 4 अगस्त 2021 थी।

केस–2 : श्री दिनेश कुमार, पंजीयन संख्या–413484742– श्री दिनेश कुमार का पंजीयन 7 जुलाई 2021 को होना पाया गया तथा मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार उनकी मृत्यु 21 जुलाई 2021 को हुई।

केस–3 : श्री नील कुमार पांडे, पंजीयन संख्या– 413672087– श्री नील कुमार पांडे का पंजीयन 23 मार्च 2021 को होना पाया गया तथा मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 2021 को हुई।

पंद्रह मामलों में, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा आवेदनों को सरपंच/ग्रामीणों से मौखिक पूछताछ या पंचनामे के आधार पर निरस्त कर दिया गया था जिनमें पंजीयन की तारीख से पहले मृत्यु की तारीख बताई गई थी। चूंकि पंजीकृत श्रमिक योजना लाभ के पात्र थे इसलिए श्रम निरीक्षक द्वारा पंचनामा या मौखिक पूछताछ के आधार पर आवेदन निरस्त करने की कार्यवाही उचित नहीं थी।

चौबीस मामलों में यह देखा गया है कि पंजीकृत हितग्राहियों के दावों को क्षेत्र दौरे के दौरान श्रम विभाग के निरीक्षक द्वारा की गई मौखिक पूछताछ/पंचनामा के आधार पर निरस्त कर दिया गया था जिनमें कहा गया कि मृत श्रमिक या तो लकवाग्रस्त/विकलांग थे या निर्माण कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं थे। यह इंगित करता है कि श्रम विभाग द्वारा पंजीयन के समय आवेदन के प्रसंस्करण में उचित परिश्रम नहीं किया गया था। पंजीयन की शेष अवधि के लिए कामकाजी स्थिति की जांच करने हेतु किसी तंत्र के बिना पिछले वर्ष में 90 दिनों के कार्य प्रमाण पत्र के आधार पर श्रमिकों को शुरू में पांच वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत किया गया था।

श्रमिकों के पंजीयन और आवेदन/दावों के प्रसंस्करण में अनियमितताओं ने मृतकों के नामित व्यक्तियों को योजना के लाभ से वंचित कर दिया तथा यह श्रमिक को सहायता/लाभ प्रदान करने के विभागीय तंत्र के भीतर कमियों को इंगित करता है।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि भौतिक सत्यापन केवल ऐसे मामलों में किया गया था जिनमें दस्तावेज़ या तो अधूरे थे या उपलब्ध नहीं थे। आगे कहा गया है कि पंजीयन में अनियमितताओं को रोकने के लिए पंजीयन के समय हितग्राहियों की लाइव फोटो जैसे आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। कुल 13 मामलों में से दो मामलों में वसूली की जा चुकी है और शेष 11 मामलों में वसूली प्रक्रियाधीन हैं।

3.2.3 हितग्राही के पहचान/पंजीयन कार्ड एवं आधार कार्ड में प्रदर्शित निर्माण श्रमिकों की जन्मतिथि में विसंगति

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 के खंड 14(1) के अनुसार, एक भवन निर्माण श्रमिक जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत हितग्राही के रूप में पंजीकृत किया गया है, जब 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है या जब वह भवन या अन्य निर्माण कार्यों में वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण कार्य में संलग्न नहीं है तो हितग्राही के रूप में पंजीयन समाप्त हो जाएगा।

बिलासपुर और जांजगीर–चांपा जिलों में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 40 मामलों में (जैसा कि **परिशिष्ट–3.5** में दर्शाया गया है) आधार कार्ड में उल्लिखित हितग्राहियों की जन्म तिथि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा जारी हितग्राहियों के पंजीयन/पहचान पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि से मेल नहीं हो रही थी। इसके अतिरिक्त, जांच में पता चला कि 16 मामलों में, ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाई देने वाली हितग्राहियों की आयु उनके आधार कार्ड के अनुसार आयु से अधिक थी और अंतर 1 माह से लेकर 19 वर्ष और 6 माह तक थी। यह भी पता चला कि शेष 24 मामलों में, ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाई देने वाली हितग्राहियों की आयु उनके आधार कार्ड के अनुसार आयु से कम थी और अंतर 6 माह से 6 वर्ष तक थी।

ऑनलाइन पोर्टल में उल्लिखित आयु एवं आधार कार्ड में प्रदर्शित आयु में अंतर के परिणामस्वरूप आयु प्रतिबंध के कारण हितग्राहियों का विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पंजीयन समाप्त हो सकता है एवं आवेदन निरस्त हो सकता है अथवा वास्तविक आयु 60 वर्ष के बाद भी योजना के अंतर्गत लाभ को लंबे समय तक लिया जा सकता है।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि पूर्व में आधार कार्ड की आवश्यकता अनिवार्य नहीं थी एवं अन्य अभिलेख के आधार पर जन्म तिथि पंजीयन पत्र में दर्ज की गई थी, इसलिए जन्म तिथि में अंतर था। आगे कहा गया है कि आधार कार्ड और पहचान पत्र के अनुसार जन्मतिथि में अंतर को ठीक करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंडल ने आधार कार्ड की उपलब्धता के बावजूद श्रमिकों के पंजीयन डेटा में दर्ज जन्मतिथि को अद्यतन करने का कोई प्रयास नहीं किया।

3.3 निष्कर्ष

श्रम विभाग, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं श्रम उपकर संग्रह/कटौती करने वाले अन्य विभागों/स्थानीय शासन के बीच तालमेल की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्य में लगे सभी प्रतिष्ठान और श्रमिक, श्रम विभाग के साथ पंजीकृत नहीं थे। वर्ष 2018–19 से 2021–2022 की अवधि के दौरान नए पंजीयन की संख्या में गिरावट एवं कालातीत पंजीयन की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति यह इंगित करता है कि निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए विभाग/मंडल द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, मृत्यु के बाद पंजीयन एवं मृत्यु दावे के आवेदनों को निरस्त करने की घटना, पंजीयन एवं श्रमिक को सहायता/लाभ प्रदान करने के विभागीय तंत्र के भीतर पारदर्शिता की कमी को इंगित करता है।

3.4 अनुशंसाएं

- श्रम विभाग और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को उपकर कटौती/संग्रह करने वाले प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर निर्माण गतिविधि में संलग्न प्रत्येक प्रतिष्ठान एवं श्रमिक को पंजीकृत करने हेतु एक प्रभावी तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- निर्माण श्रमिकों के पंजीयन/नवीनीकरण की संख्या को बढ़ाने के लिए श्रम विभाग को चावड़ी एवं निर्माण स्थल पर शिविर आयोजित करने चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, श्रम विभाग को तंत्र में पारदर्शिता के लिए हितग्राहियों के दावों/पंजीयन के लिए आवेदन की जांच हेतु एक समान प्रणाली तैयार करनी चाहिए।